न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-206RAAJodhpur2023-47RTA223 Akabar Khan Vs Aman Chen etc
2023-205RAAJodhpur2023-46RTA223 Akabar Khan Vs Aman Chen etc

अकबर खां पुत्र मिसु खां, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अमन चेन पुत्री मिसुखां के कायम मुकामः—
   1.1. अमीन खां पुत्र मुख्तार अली
   1.2. फिरोज खां पुत्र मुख्तार अली
   1.3. खुषबु पुत्री मुख्तार अली

   तीनों नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मुख्तार अली पुत्र जवरूखां, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम रेपड़ावास, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली।
2. गुड़िया पुत्री मिसुखां पत्नी अब्दुल गनी थेयम, जाति तेली मुसलमान, निवासी कुम्हारों का बास बिरांटिया खुर्द, तहसील रायपुर, जिला पाली।
3. जमीला बानो पुत्री मिसुखां पत्नी अलादीन, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम पिपलियां कलां तहसील रायपुर जिला पाली।
4. धापूदेवी पुत्री मिसुखां पत्नी रमजानखां, जाति तेली मुसलमान निवासी मुन्डावा रोड़ पिपलिया खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली।
5. मदीना बानो पुत्री मिसुखां पत्नी मुख्त्यार खान जाति तेली मुसलमान, निवासी खसरा नम्बर 74/22 गली नम्बर 21 ए, नजदीक रेल्वे लाईन स्वतंत्रता नगर नरेला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली।
6. रमजान बानू पुत्री मिसुखां पत्नी इन्दुखां जाति तेली मुसलमान निवासी घुन्धाला तहसील व जिला पाली
7. भीमा पत्नी मिसुखां जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
8. लाला पुत्री मिसुखां पत्नी जवरूखां जाति तेली मुसलमान निवासी न्यूलाईट कॉलोनी, कॉपरेटिव पैट्रोल पम्प के पीछे बिलाड़ा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।
9. फकीर मोहम्मद पुत्र रसूल खां
10. सतार मोहम्मद पुत्र रसूल खां

    जातियान तेली मुसलमान निवासीगण ग्राम झाक तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022
सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2022
अमन चेन बनाम अकबर खां इत्यादि

———————

(02)2023-205RAAJodhpur2023-46RTA223 Akabar Khan Vs Aman Chen etc

अकबर खां पुत्र मिसु खां, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम झाक, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. अमन चेन पुत्री मिसुखां के कायम मुकामः—
   1.1. अमीन खां पुत्र मुख्तार अली
   1.2. फिरोज खां पुत्र मुख्तार अली
   1.3. खुषबु पुत्री मुख्तार अली
   तीनों नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता मुख्तार अली पुत्र जवरूखां, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम रेपड़ावास, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली।
2. गुड़िया पुत्री मिसुखां पत्नी अब्दुल गनी थेयम, जाति तेली मुसलमान, निवासी कुम्हारों का बास बिरांटिया खुर्द, तहसील रायपुर, जिला पाली।
3. जमीला बानो पुत्री मिसुखां पत्नी अलादीन, जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम पिपलियां कलां तहसील रायपुर जिला पाली।
4. धापूदेवी पुत्री मिसुखां पत्नी रमजानखां, जाति तेली मुसलमान निवासी मुन्डावा रोड़ पिपलिया खुर्द तहसील रायपुर जिला पाली।
5. मदीना बानो पुत्री मिसुखां पत्नी मुख्त्यार खान जाति तेली मुसलमान, निवासी खसरा नम्बर 74/22 गली नम्बर 21 ए, नजदीक रेल्वे लाईन स्वतंत्रता नगर नरेला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली।
6. रमजान बानू पुत्री मिसुखां पत्नी इन्दुखां जाति तेली मुसलमान निवासी घुन्धाला तहसील व जिला पाली
7. भीमा पत्नी मिसुखां जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

8. लाला पुत्री मिसुखां पत्नी जवरूखां जाति तेली मुसलमान निवासी न्यूलाईट कॉलोनी, कॉपरेटिव पैट्रोल पम्प के पीछे बिलाड़ा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।
9. फकीर मोहम्मद पुत्र रसूल खां
10. सतार मोहम्मद पुत्र रसूल खां

    जातियान तेली मुसलमान निवासीगण ग्राम झाक तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023
सहायक कलक्टर बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2022
अमन चेन बनाम अकबर खां इत्यादि

———————

उपस्थित–
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मदन लाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3, 2 से 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 08 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2022 अनवान अमन चेन बनाम अकबर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 24 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट की ओर से निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 47/2023 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम झाक तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 234 रकबा 0.4692 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 1.1811 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 60 रकबा 4.1259 हैक्टेयर खसरा नम्बर 61 रकबा 2.8962 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 8.6724 हैक्टेयर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 पारित कर तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेष दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 47/2023 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बिलाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील संख्या 179/2023 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 61 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 234 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 53 बीघा 12 बिस्वा ग्राम झाक प्रतिवादी संख्या–1 के पिता मिसु खां पुत्र रसूल खां की संयुक्त खातेदारी में थी, जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 के पिता मिसु खां का 1/3 हक व हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता मिसु खां का देहान्त दिनांक 19.03.2005 की हो जाने पर उनकी खातेदारी भूमि का फोतेदगी नामान्तरकरण संख्या–1598 स्वीकृत किया गया। उस फौतेदगी नामान्तरकरण सख्या–1598 में वादीगण ने पटवारी हल्का एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर हिस्सा को दर्ज नहीं करवाया गया तथा न ही मुस्लिम विधि के हनफी विधि के नियम 233 के अनुसार उत्तराधिकार के अंश के अनुसार प्राप्त होने वाली भूमि का रकबे को बताया गया है, जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र, पुत्री, पत्नि का हनफी विधि के अन्तर्गत अवशिष्ट उत्तराधिकारीयों का अंश के अनुसार भूमि में अलग–अलग हिस्सा प्राप्त होगा। अतः प्रतिवादी संख्या–1 के पिता मिसु खां के देहान्त उपरांत फौतंदगी नामान्तरकरण

संख्या–1598 प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध स्वीकृत होने से निरस्त योग्य है। वादीगण मुस्लिम विधि अनुसार विवादग्रस्त भूमि के 1/27–1/27 हिस्से के खातेदार नही है तथा न ही उन्होंने दावे मे खातेदारी घोषणा की है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने पर अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर गौर किये बिना उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। प्राकृतिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को दावे में सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पो./वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही वे इस गांव में रहती है। कब्जे काष्त के अभाव में कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 जो विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डड खातेदार एवं मौके पर काबिज काष्त है, उसे दावे की सुनवायी का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनाक 06.02.2023 को अंतिम डिक्री पारित कर दी जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या–1/अपीलांट पर विधिवत सम्मन तामील करवाये बिना एकतरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 पारित किये जाने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1/ अपीलांट को दिनांक 18.12.2022 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा भेजा गया बटवाड़ा प्रस्ताव का नोटिस भवानी सिंह रावणा राजपूत द्वारा अपीलांट को पढ़कर सुनाये जाने पर हुई। जिस पर अपीलाण्ट बिलाड़ा आया और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 20.12.2022 को प्रमाणित नकले प्राप्त की, तब अपीलाण्ट को संपूर्ण जानकारी हुई कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.09.2022 को पारित कर दिया है। तत्पष्चात अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनाक 28.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 28.09.2022 को निरस्त करने तथा दावा में कन्टेस्ट करने हेतु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी का पेश किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र में वादीगण का 1/27–1/27 हिस्सा गलत होने का कथन किया गया है एवं दावा का कन्टेस्ट करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी को दिनाक 30.01.2023 को खारिज कर दिया एवं दावे में प्रतिवादी को कन्टेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गयी तथा प्रतिवादी को वादी से जिरह करने का कोई अवसर प्रदान नही कर एकतरफा बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 06.02.2023 को अंतिम निर्णय मय डिक्री को जारी कर दी। दिनांक 09.02.2023 को रेस्पोडेण्ट संख्या–1 मौके पर आयी और अपने पक्ष का निर्णय होना बताकर काम रोकने की धमकी दी तो प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने दिनांक 10.02.2023 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मालूम किया तो प्रतिवादी संख्या 1 को दिनाक 06.02.2023 द्वारा अंतिम डिक्री की जानकारी हुई तो प्रतिवादी अपीलाण्ट ने निर्णय दिनांक 28.09.2022 तथा दिनाक 06.02.2023 की नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 16.02.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि दी गयी। तब प्रतिवादी संख्या एक को एकतरफा डिक्री दिनांक 28.09.2022 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 06.02.2023 की पूर्ण जानकारी हुई। जानकारी की तिथि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील संख्या 47/2023 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अदंर म्याद शुमार की जावे तथा गुणावगुण पर दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2022 अनवान अमन चेन बनाम अकबर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं पक्षकारान् को सुनवाई एवं शहादत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिनुसार प्रकरण को पुनः निस्तारित किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 पर सम्मनों की व्यक्तिगत रूप से तामील करवायी थी। इसके बावजुद अपीलाण्ट

व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 नियत तारीख पेशी दिनांक 28.06.2022 व आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.07.2022 17.08.2022. 23.08.2022 14.09.2022, 21.09.2022 व 28.09. 2022 को अधीनस्थ न्यावालय के समक्ष जानबुझकर उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी दिनांक 28.09.2022 को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 का जवाब प्रस्तुत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अमन चेन द्वारा नियत तारीख पेशी दिनांक 28.09.2022 को अपनी ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 28.09.2022 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में प्रत्येक पक्षकार के दर्ज 1/27 वे हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने के सम्बंध में प्राथमिक डिक्री जारी की। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अपीलाण्ट स्वयं ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 को सही होना स्वीकार किया है जिसकी पुष्टि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र से होती है। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से निवेदन किया गया कि बंटवाडा प्रस्ताव हेतु नियत तारीख को डेढ़ माह मुल्तवी किया जावे, जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 को सही होना माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 जारी किये जाने के बाद अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 को अपास्त किये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया, जिसका विस्तृत जवाब रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 की ओर से दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की बहस सुनकर आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य नही होना मानते हुए खारिज किये

जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 द्वारा सक्षम अपीलीय न्यायालय में कोई अपील पेश नही की गई है। निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनाक 28.09.2022 की पालना में रेस्पोडेण्ट संख्या 11 तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 को दिनांक 13.12.2022 को नोटिस जारी किये तथा नोटिस में बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर तैयार करने हेतु दिनांक 20.12.2022 नियत की गयी। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा जारी उक्त नोटिस अपीलाण्ट को दिनांक 18.12.2022 को ही प्राप्त हो गया, जिसकी प्राप्ति अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र बाबत् बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 की नियत की गयी तारीख को करीब डेढ़ माह मुल्तवी करने में स्वीकार किया है। अपीलाण्ट तहसीलदार बिलाडा द्वारा जारी नोटिस व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने के बावजुद तथा दिनांक 20.12.2022 को ग्राम झाक में ही मौजूद होने के बावजुद तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को मौके पर स्वयं व हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को साथ लेकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु जाने व बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 को तैयार करने के दौरान उपस्थित नहीं रहा। इस सम्बंध में तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को तैयार किये गये बंटवाडा प्रस्ताव में भी नोट अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अकबर खॉ पुत्र मिसु खाँ जाति तेली (मुसलमान) द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2022 को प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री (विभाजन प्रस्ताव) नियत तिथि 20. 12.2022 को स्थगित कर आगामी डेढ माह बाद पुनः तारीख नियत करने का आग्रह किया है, जबकि उक्त नियत तिथि से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना नोटिस विधिवत् तामिल कर लिया था एवं मौका निरीक्षण की नियत तिथि दिनांक 20.12.2022 को भी प्रतिवादी अकबर खॉ ग्राम झाक में ही उपस्थित था, मौके पर बुलाने के बावजुद भी मौके पर उपस्थित नही हुआ। अतः उपस्थितान की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार किया गया है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 की पालना में दिनांक 20.12.2022 को मौके पर जाकर तैयार किये गये बंटवाड़ा प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव पर भी अपीलाण्ट व

रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपति पेश नहीं की, जबकि कानूनन वो उनके विरूद्ध एकपक्षीय पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 को अपास्त करवाये बिना उक्त डिक्री के बाद की आगामी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होने के बावजुद उनके द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपति पेश नहीं की है। न्यायिक दृष्टान्त 2021 (2) आरआर.टी पेज संख्या 1412 अनवान ईष्वरी प्रसाद बनाम ब्रहमानन्द में राजस्व मण्डल की डबल बैंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादी को पूर्व की कार्यवाहियों में एकपक्षीय आदेश अपास्त किये बगैर भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन उपस्थित होने की तारीख से कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी पी.सी सपठित धारा 151 सीपीसी के जरिये उपस्थित हो चुके थे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 09.01.2023 को पेश किया, फिर भी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 8 से 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपति पेश नही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई आपति पेश नहीं होने से बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 के वाद को निर्णय दिनांक 06.02.2023 द्वारा अन्तिम डिक्री किया, जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार संख्या 2 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री के सम्बंध में यह एतराज लिया कि ''अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी.पी.सी. को अस्वीकार कर प्रतिवादीगण को दावे में कन्टेस्ट करने की अनुमति दिये बगैर निर्णय करने में विधिक मूल की गयी है। उक्त एतराज निराधार है, जिसके सम्बंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में कोई विधिक मूल नहीं की है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनाक 30.01.2023 में किसी भी प्रकार की विधिक भूल की होती तो

अपीलाण्ट उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय में कानूनन अपील पेश करता, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की, जबकि उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट के पास अपील पेश करने का कानूनन उपचार उपलब्ध था। न्यायिक दृष्टान्त 2018 आर. बी. जे. 460 भंवरसिंह बनाम श्यामसिंह में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. को अस्वीकार किये जाने के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री के सम्बंध में पूर्व में अपील का विकल्प न चुनकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सीपीसी का विकल्प चुनते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया, क्योकि कानूनन एकपक्षीय पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रभावित पक्षकार के पास एक उपचार ही उपलब्ध रहता है या तो वो एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करवाने हेतु उसी न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करे या फिर एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करे। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने का विकल्प चयन करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया। ऐसी स्थिति में कानूनन अपीलाण्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का विकल्प चयन करने के बाद एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील कानूनन पोषणीय नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त 2016 आर.बी.जे. पेज सं 32 चुन्नी बाई बनाम रामाराम में राजस्व मण्डल की डबल बैंच द्वारा भी अभिनिर्धारित किया कि "Remedies available against ex-parte decree. Defendant cal file an apeal or can file application under Order 9 Rule 13. Defendant can avail one remedy out of the two. इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा आधार संख्या 2 में लिया गया उक्त एतराज निराधार होने से मानने योग्य नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सी पी सी को आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा खारिज किये जाने से अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत्त अपील कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट का उज्र है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा न वो गांव में रही है तथा उन्होने काश्त आदि नही की है, वो अपने ससुराल में ही रहती है। इसलिए वादीगण के पक्ष में स्थाई

निषेधाज्ञा की डिक्री गलत जारी की गई है। अपीलांट का उक्त एतराज भी निराधार है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से कानूनन संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता है तथा किसी एक सहखातेदार का कब्जा होने पर भी कानूनन अन्य सहखातेदार का हक व अधिकार समाप्त नहीं होता है। जिसके सम्बंध में न्यायिक दृष्टान्त 2023 (1) आर.आर.टी. 133 प्रतापा बाई बनाम रामप्रसाद में राजस्व मण्डल की डबल बैंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि विभाजन के अनुतोष के लिए कब्जा होना असंगत है, बल्कि पक्षकार रेकर्डेड खातेदार होना चाहिए। जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार वाद डिक्री किया, निर्णय में कोई अवैधता नहीं। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त 2024 (2) आर.आर.टी 1068 छीतरलाल बनाम लक्ष्मीनारायण में राजस्व मण्डल की डबल बैंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक भूमि पर कब्जा माना जायेगा। यदि एक सहखातेदार का कब्जा हो तो भी सहखातेदारी भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नही होता है और एक सहखातेदार की भूमि पर दुसरे सहखातेदार को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई अवैधता नहीं की है। इस प्रकार उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर आधार संख्या 4 में लिया गया उक्त एतराज भी निराधार होने से मानने योग्य नही है। अपीलांट का उज्र है कि मिसु खां का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1598 स्वीकृत किया, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा कोई हिस्सा दर्ज नहीं किया व न ही मुस्लिम विधि के हनफी विधि के नियम 233 के अनुसार उतराधिकार के अंश के अनुसार प्राप्त होने वाली भूमि के रकबा को बताया गया, जबकि मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी का हनफी विधि के अन्तर्गत अवशिष्ट उतराधिकारियों का अंश के अनुसार भूमि में अलग–अलग हिस्सा प्राप्त होगा। इसलिए फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1598 प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध स्वीकृत होने से निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वादीगण का 1/27 वॉ हिस्सा मुस्लिम विधि के अनुसार नहीं है न ही उन्होने दावा में खातेदारी घोषणा की है। इस संबंध में सम्बध में स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि मिसु खाँ पुत्र रसूल खाँ का फौतेदगी म्यूटेशन हेतु आवेदन अपीलाण्ट द्वारा ही किया गया, जो म्यूटेशन संख्या 1598 पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी रिपोर्ट से प्रमाणित है। जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा लिखा

कि जमाबन्दी व प्रार्थी अकबर खॉ के प्रार्थना पत्र से नामान्तरकरण के इन्द्राज तस्दीक किये। अपीलाण्ट द्वारा हल्का पटवारी को विवादग्रस्त आराजी में मिसु खाँ के सभी वारिसानों का समान हिस्सा होना बताते हुए आवेदन किया था तथा आवेदन के अनुसार ही हल्का पटवारी द्वारा मिसु खॉ का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय मिसु खॉ के सभी वारिसानों का समान हिस्सा दर्ज किया। उक्त फौतेदगी न्यूटेशन संख्या 1598 जो वर्ष 2005 में स्वीकृत किया गया, को आज दिन तक अपीलाण्ट द्वारा चैलेन्ज नहीं किया तथा उक्त फौतेदगी म्यूटेशन का आवेदन अपीलाण्ट द्वारा ही करने से अपीलाण्ट उक्त म्यूटेशन के जरिये मिसु खाँ के सभी वारिसानों के नाम हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किये गये समान हिस्सों के सम्बंध में एस्टोपल कानून से पाबन्द है, इसलिए उक्त फौतेदगी म्यूटेशन के सम्बंध में अपीलाण्ट को कानूनन अब किसी प्रकार का कोई एतराज करने का अधिकार नहीं है।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है तथा मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 की धारा 2 के अनुसार कृषि भूमि सम्बंधित प्रश्नों में मुस्लिमों पर उनकी स्वीय विधि यानि पर्सनल लॉ लागू नही होता है, इसलिए विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि होने से तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स मुस्लिम होने से उनका पर्सनल लॉ मुस्लिम उत्तराधिकार कानून उन पर लागू नहीं होता है तथा कृषि भूमि में हिन्दूओं के समान ही मुसलमानों के हिस्से वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक दर्ज चले आ रहे है। वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक किसी भी मुसलमान का फौतेदगी म्यूटेशन उनके पर्सनल लॉ मुस्लिम उतराधिकार कानून के अनुसार दर्ज नही किया गया, क्योकि कृषि भूमि में मुस्लिम स्वीय विधि (शरियत) लागूकरण अधिनियम 1937 की धारा 2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मुस्लिमों पर उनकी स्वीय विधि यानि पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है। विवादग्रस्त आराजी के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्सें अनुसार जारी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.09.2022 की पालना में तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर दिनांक 20.12.2022 अपीलाण्ट को उपस्थित होने के सम्बंध में जारी नोटिस के बाद अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 20.12.2022 की नियत की गयी तारीख को करीब डेढ माह मुल्तवी करने का तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष प्रार्थना

पत्र पेश किया जिसमें उसके द्वारा एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री को गलत होना नहीं बताया, अपितु उसकी पालना हेतु तारीख डेढ माह मुल्तवी करने हेतु समय चाहा था। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अपीलाण्ट स्वयं यह स्वीकार कर रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में दर्ज हिस्सों अनुसार पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्की गलत नहीं है, दुसरी तरफ माननीय न्यायालय में पेश अपील में जमाबन्दी में दर्ज हिस्सों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री को गलत बता रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट जानबुझकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 7 को उनके हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा न हो सके, इसी दुराशय से प्रस्तुत अपील झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश की है. जिसका वास्तविकता से कोई लेन–देन नहीं है। अंत में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीले सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र में कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने की अपीलांट को जानकारी होने पर उसकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त किये जाने एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील का आधार लेते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये उक्त कथनों की पुष्टि होती है। लिहाजा न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाते है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट के पिता मिसू खां की फौतेदगी पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1598 दिनांक 21.09.2005 मुस्लिम विधि के विरासत एवं उतराधिकार विधि नियम 233 के अनुसार स्वीकृत नहीं किया गया है तथा न ही उक्त नामांतरकरण में मुस्लिम विरासत एवं उतराधिकार अनुसार मृतक मिसु खां के वारिसान् के हिस्से खोले गये है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 09 नियम 07 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त किये जाने तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को सम्यक तामील के आधार पर खारिज कर अपीलांट को अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री मुस्लिम विधि में धारित प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है। साथ ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाहियॉ एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिनुसार नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स का उज्र है कि कृषि भूमि के संबंध में मुस्लिम विधि के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स की ओर से कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट्स को उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। लिहाजा मामले में मामले में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने एवं मुस्लिम विधि अनुसार मामले के विधिनुसार निस्तारण हेतु मामले को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 59/2022 अनवान अमन चेन बनाम अकबर खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 सितंबर 2022 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06 फरवरी 2023 निरस्त किये जाते है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित

किया जाता है कि वह मामले में अपीलांट को जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मुस्लिम विधि में विहित प्रावधानों के अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते मामले का विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर